



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-02 / 2020
दिनांक : 03.01.2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (एफ) के प्रावधान के अनुसार निम्नांकित दो एसोशिएट प्रोफेसर और चार सहायक प्रोफेसरों को विद्या-परिषद का सदस्य नामित किया जाता है।

एसोशिएट प्रोफेसर

1. डॉ. रामानुज अस्थाना
2. डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी

सहायक प्रोफेसर

1. डॉ. अनिर्वाण घोष
2. श्री शरद जायसवाल
3. डॉ. बीर पाल सिंह यादव
4. डॉ. अख्तर आलम

इनका कार्यकाल यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 02 वर्ष होगा।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 03/01/20

प्रति :

उपर्युक्त सभी (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. विद्या-परिषद के सभी माननीय सदस्य
4. कार्य-परिषद के सभी माननीय सदस्य
5. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र, मार्ग, नई दिल्ली
8. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/अनुभाग
9. विश्वविद्यालय वेबसाइट
10. संबंधित पत्रावली